पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2025/16(अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

पटना, दिनांक 19/5/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 13.05.2025 द्वारा स्वीकृत कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 216–सह–पठित ज्ञापांक 7243 दिनांक 11.11.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 13(स्वी०) दिनांक 13.05.2025 द्वारा स्व० कमल पासवान, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम पंचायत–बहसी सैदपुर, प्रखंड–जन्दाहा, जिला–वैशाली की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को देय कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, **वैशाली** होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, **वैशाली** से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। ग्राम कचहरी सचिव के आश्रित के खाते में नियमानुसार जाचोंपरांत CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के अंतर्गत ''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु'' मद के ''विषय शीर्ष–0010.37.01–अनुग्रह अनुदान'' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या, 16–2515001980010 है।

Aditi

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2025 के पृष्ठ संख्या ......05...../टि० पर दिनांक 14/05/25..........को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2025/16(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 19/5/25

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी पदाधिकारी–06 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–03/2025/16(310)/पं०रा० पटना, दिनांक 19/5/25

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव